उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ ने अमर शहीद शंकर शाह-रघुनाथ शाह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की

भोपाल ■ जसं

उप राष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़, राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने देश और धर्म की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने वाले जनजातीय नायक अमर शहीद राजा शंकरशाह और उनके पुत्र कुँवर रघुनाथ शाह के 165वें बलिदान दिवस पर आज जबलपुर में उनकी प्रतिमा पर पुष्प-चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने आजादी के अमृत महोत्सव पर गोंडवाना साम्राज्य के राजा शंकरशाह एवं कुँवर रघुनाथ शाह की बलिदान गाथा का स्मरण किया।

गोंडवाना साम्राज्य के राज परिवार को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भारत के रजवाड़ों में प्रथम बलिदानी होने का गौरव हासिल है। केन्द्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रदेश के लोक निर्माण, कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री एवं जबलपुर जिले के प्रभारी मंत्री श्री गोपाल भार्गव, वन मंत्री डॉ. कुँवर विजय शाह, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह, खजुराहो सांसद श्री विष्णु दत्त शर्मा, सांसद श्री राकेश सिंह, राज्य सभा सांसद श्रीमती संपतिया उइके, विधायक सिहोरा श्रीमती नंदनी मरावी सहित जन-प्रतिनिधि उपस्थित रहे। उप राष्ट्रपति श्री धनखड़, राज्यपाल श्री पटेल और मुख्यमंत्री श्री चौहान के जबलपुर के मालगोदाम चौक स्थित अमर शहीद राजा शंकरशाह और कुँवर रघुनाथ शाह की प्रतिमा स्थली पहुँचने पर परंपरागत जनजातीय बैगा नृत्य से स्वागत किया गया।

उप राष्ट्रपति श्री धनखड़ ने डिंडौरी जिले से आये बैगा नर्तक दल के सदस्य दयाराम से बात की और बेहतर नृत्य के लिए शाबासी दी। उप राष्ट्रपति से बात कर नर्तक दल के सभी सदस्य खुशी से फूले नहीं समा रहे थे।

कविताओं से लोगों में आजादी के लिए भरते थे जोश और उत्साह

राजा शंकरशाह और उनके पुत्र कुँवर रघुनाथ शाह ने आजादी की लड़ाई में देश के लिए उत्कृष्ट त्याग और बलिदान दिया। वे अंग्रेजी शासन की दमनकारी नीतियों के विरूद्ध अपने विचारों और कविताओं से लोगों में आजादी के लिए जोश और उत्साह भरते थे।

उनकी कविताओं से अंग्रेजों के विरूद्ध विद्रोह की आग सुलग उठी।

डिप्टी कमिश्नर ई. क्लार्क ने गुप्तचर की मदद से पिता-पुत्र को 14 सितम्बर 1857 की शाम 4 बजे बंदी बना लिया। अगले तीन दिन तक मुकदमें का नाटक करते हुए वीर सपूत राजा शंकरशाह एवं कुँवर रघुनाथ शाह को 18 सितम्बर 1857 को सुबह 11 बजे तोप के मुँह पर बाँध कर मृत्युदंड दे दिया गया।

विगत दिवस उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जबलपुर प्रवास के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए

उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ का जबलपुर में डुमना विमानतल पर आत्मीय स्वागत

राज्यपाल श्री पटेल और मुख्यमंत्री चौहान ने की अगवानी

भोपाल ■ जसं

उप राष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ का डुमना विमान तल पर राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आत्मीय स्वागत किया।

उप राष्ट्रपति श्री धनखड़ का आज प्रातः डुमना, जबलपुर विमान तल पर केन्द्रीय जल शक्ति एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री श्री प्रहलाद पटेल, मिनिस्टर इन वेटिंग लोक निर्माण वी.डी. शर्मा, पर्यटन मंत्री श्री गोपाल भार्गव, सांसद श्री विनोद गोंटिया, जन-प्रतिनिधि और निगम के अध्यक्ष श्री अधिकारियों ने भी स्वागत किया।

आजादी में जनजातीय वर्ग का योगदान महत्वपूर्ण और प्रेरणादायी : उप राष्ट्रपति श्री धनखड़

शंकर शाह-रघुनाथ शाह की जहाँ हुई शहादत, बनेगा वहीं स्मारक : मुख्यमंत्री

भोपाल ■ जसं

उप राष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने कहा है कि अमर शहीद राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह की बलिदान भूमि जबलपुर में स्वयं को पाकर गर्व की अनुभूति कर हो रही है। उन्होंने कहा कि राजा शंकर शाह - कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस को वे कभी नहीं भूलेंगे। देश की आजादी में जनजातीय वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। उप राष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री श्री चौहान के जनजातीय वर्ग के प्रति प्रेम और तड़प की मुक्त कंठ से सराहना की। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा कि जनजातीय वर्ग की युवा पीढ़ी को पूर्वजों के शौर्य, साहस और पराक्रम से अवगत कराना होगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पेसा एक्ट का अंतिम ड्राफ्ट तैयार है। जल्द मध्यप्रदेश पेसा एक्ट लागू करने वाला अग्रणी राज्य होगा। भारिया जनजाति के 12 गाँव को हेबिटेट राइटस प्रदान किये गये हैं। प्रतिभाशली विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया गया।

उप राष्ट्रपति श्री धनखड़ ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में देश के सर्वोच्च पद पर पहली बार जनजातीय वर्ग की महिला का आसीन होना प्रदर्शित करता है कि देश बदल रहा है। उन्होने कहा कि जनजातीय वर्ग के वीरों और वीरांगनाओं द्वारा आजादी के लिये जगाई गई अलख की लौ स्वतंत्रता तक अनवरत जलती रही। जनजातीय वर्ग के रणबाँकुरों के बलिदान ने आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में तोप के मुँह पर भी राजा शंकर शाह - कुंवर रघुनाथ शाह का राष्ट्र-प्रेम के साथ बलिदान उच्च प्रतिमान स्थापित करता हैं। जनजातीय वर्ग की वीरांगना रानी दुर्गावती का देश-प्रेम और लोक-कल्याणकारी शासन प्रणाली प्रेरणादायी है।

उप राष्ट्रपति श्री धनखड़ ने कहा कि जनजातीय वर्ग के सर्वांगीण विकास के लिये मुख्यमंत्री श्री चौहान का समर्पण ही उन्हें निरंतर कार्य करने प्रेरित करता है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि प्रदर्शनी में प्रदर्शित की गई सभी योजनाओं को मुख्यमंत्री श्री चौहान ने धरातल पर उतार दिया है। खेल, शिक्षा और नौकरी के क्षेत्र में जनजातीय वर्ग के लोगों ने अपनी प्रतिभा को प्रभावी रूप से प्रदर्शित किया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान के प्रयासों से आने वाले समय में और भी बेहतर नतीजे मिलेंगे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जबलपुर में आजादी के अमृत महोत्सव में गुमनाम जनजातीय नायकों को पुनः प्रतिष्ठा दिलाने के लिये तैयार किया जा रहा संग्रहालय विश्व स्तरीय होगा। अगली बार जब भी आऊँगा, संग्रहालय में आना बहुत ही मार्मिक क्षण होगा।

उप राष्ट्रपति श्री धनखड़ ने राजा शंकर शाह-कुंवर रघुनाथ शाह बलिदान दिवस कार्यक्रम में भारिया जनजाति के 12 ग्राम को हेबिटेट राइटस् प्रदान किये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अब इन ग्रामों के प्रबंधन की योजना भारिया जनजाति के लोग स्वयं बना कर कार्य संचालन करेंगे।

राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा है कि देश की युवा पीढ़ी को वीरों और वीरांगनाओं के बलिदान से प्रेरणा लेनी चाहिए। हमारा दायित्व है कि हम युवा पीढ़ी को अमर बलिदानियों के साहस, शौर्य और वीरता से अवगत कराएँ, जिनके अदम्य साहस से फिरंगी भी भयभीत रहते थे। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि हम अपनी युवा पीढ़ी में ऐसे संस्कार डालें कि वे वीरों के द्वारा बताये मार्ग पर अग्रसर हों।

राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि प्रदेश में अनुसचित जाति, जनजाति के सर्वांगीण विकास और कल्याण के लिए मुख्यमंत्री श्री चौहान के प्रयास सराहनीय हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान जनजातीय कल्याण के लिये हर संभव बेहतर प्रयास कर रहे हैं। राज्यपाल श्री पटेल ने समाज के युवक-युवतियों से जनजातीय वर्ग में होने वाली अनुवांशिक बीमारी सिकल सेल-एनीमिया को समूल नष्ट करने के लिये आगे बढ़ कर कार्य करने का आहवान किया है। उन्होंने कहा कि इसके लिये संकल्पित होकर कार्य करना होगा। सिकल सेल-एनीमिया के उन्मूलन के लिये समय-समय पर लगने वाले केम्प में जनजातीय वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति को ले जाकर जाँच करवानी होगी और सरकार द्वारा किये जा रहे मुफ्त इलाज का लाभ दिलाना होगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि जिस स्थान पर राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह ने बलिदान दिया है, उसी स्थान पर स्मारक का निर्माण किया जाएगा, जिसे पीढ़ियाँ याद रखेंगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिये जन-कल्याण में कोई कमी नहीं आने दी जायेगी। सरकार जनजातीय वर्ग के कल्याण के लिये निरंतर कार्य कर रही है। इसी वर्ष पेसा एक्ट को लागू कर मध्यप्रदेश अग्रणी राज्यों में शामिल होगा। इससे जनजातीय वर्ग की जिंदगी को और सरल बनाया जा सकेगा। पेसा एक्ट का फाइनल ड्राफ्ट शीघ्र ही प्रकाशित किया जायेगा। प्राप्त दावे-आपत्तियों के निराकरण के बाद पेसा एक्ट को मध्यप्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि शीघ्र ही प्रदेश के चिन्हित जनजातीय विकासखंडों में राशन दुकानों तक राशन परिवहन, जनजातीय युवाओं के माध्यम से करने का पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ होगा। इससे युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। अभी मुख्यमंत्री राशन-आपके द्वार योजना में 20 जिलों के 89 जनजातीय विकासखण्ड के 6 हजार 500 गाँव में 7 लाख 13 हजार परिवार को जनजातीय वर्ग के युवाओं के द्वारा गाड़ियों से राशन पहुँचाने का कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वन समितियों को सरकार और अधिक अधिकार देकर सशक्त कर रही है। वन समितियाँ, प्रबंधन का कार्य करेंगी। तेंदूपत्ता संग्राहकों को 75 प्रतिशत और समितियों को 5 प्रतिशत लाभांश मिलेगा। इमारती लकड़ी से प्राप्त आय का 20 प्रतिशत वन समितियों को मिलेगा। जलाऊ लकड़ी, बाँस-बल्ली के विक्रय का अधिकार वन समितियों को ही दिया जाएगा। वन समितियों को अब तक 22 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया है। सरकार ने 827 वन ग्राम को राजस्व ग्रामों में बदला है।

जस्टिस वर्मा पथ-प्रदर्शक निर्णय और विचारों के लिए सदैव याद किए जाएंगे

भोपाल ■ जसं

उप राष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने कहा है कि देश के न्याय तंत्र में जस्टिस जे.एस. वर्मा आदर्श रूप में स्थापित हैं। कई संवेदनशील मामलों में उनके द्वारा दिये गये फैसले उनकी सोच को परिलक्षित करते हैं। जस्टिस वर्मा को उनके पथ-प्रदर्शक निर्णयों और विचारों के लिये सदैव याद किया जायेगा। उनके जीवन और विचार हमें और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। जस्टिस वर्मा की न्यायिक सोच की प्रवृत्ति ने नये आयाम और कई प्रतिमान गढ़े हैं। उप राष्ट्रपति श्री धनखड़ ने यह बात आज जबलपुर के मानस भवन में जस्टिस जे.एस. वर्मा स्मृति व्याख्यानमाला को संबोधित करते हुए कही। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सर्वश्री संजय किशन कौल एवं जे.के. माहेश्वरी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ, राज्यसभा सांसद श्री विवेक कृष्ण तन्खा, चेयरमैन एमपी स्टेट बार कौंसिल श्री विजय चौधरी और पूर्व महाधिवक्ता एवं सचिव जस्टिस जे.एस. वर्मा स्मृति समिति श्री शशांक शेखर उपस्थित थे।

उप राष्ट्रपति श्री धनखड़ ने कहा कि वे आज यहाँ आकर खुद को गौरवांवित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उप राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करने के बाद मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मुझे मध्यप्रदेश आने का न्यौता दिया था। उप राष्ट्रपति श्री धनखड़ ने कहा कि न्यायमूर्ति वर्मा 1986 से 1989 के दौरान राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, जबकि मैं बार एसोसिएशन का अध्यक्ष और बार काउंसिल का सदस्य भी रहा। उनका कार्यकाल न्यायिक पारिस्थितिकी तंत्र के उत्थान, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाने के साथ चिन्हित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में रहते हुए, उन्होंने कई ऐसे फैसले दिए जिन्होंने समाज को पूर्ण रूप से प्रभावित किया है। विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य के अपने ऐतिहासिक फैसले में उन्होंने कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न से महिलाओं को विशिष्ट सुरक्षा प्रदान करने के लिए तंत्र को न्यायिक रूप से संरक्षित किया। इस फैसले में न्यायिक क्षेत्राधिकार की उच्चता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है, जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। फैसले में उन्होंने प्रतिबिंबित किया ये निर्देश कानून में बाध्यकारी और लागू करने योग्य होंगे जब तक कि क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए उपयुक्त कानून नहीं बनाया जाता है- यह सत्ता के पृथक्करण के सिद्धांत के ईमानदारी से पालन का एक उदाहरण है।

उप राष्ट्रपति श्री धनखड़ ने कहा कि हमारे शास्त्र कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षित: कानून हमारी रक्षा करता है अगर हम इसकी पवित्रता को बनाए रखते हैं। यह लोकतंत्र और कानून के शासन का अमृत है। व्यापक और अच्छी तरह से प्रचलित धारणा है कि यह स्वस्थ सिद्धांत वर्तमान में तनाव में है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का सबसे अच्छा पोषण तब होता है जब सभी संवैधानिक संस्थान पूरी तरह से समन्वित होते हैं और अपने-अपने क्षेत्र में सीमित होते हैं।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जस्टिस जे.एस. वर्मा ने मध्यप्रदेश ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण न्याय जगत का सीना गर्व से चौड़ा किया है। उनकी स्मृति में हुई व्याख्यान माला के लिये सभी को धन्यवाद देता हूँ। जस्टिस वर्मा ने अपने फैसलों से ऐसे उदाहरण पेश किये जिसको देश कभी भूल नहीं सकता। उनके फैसलों ने यह स्थापित किया कि रूल ऑफ लॉ और रूल बाय लॉ को कैसे फॉलो किया जाता है। वर्ष 1997 में महिलाओं के गौरवपूर्ण जीवन जीने के लिये मौलिक अधिकार को सुरक्षित बनाने वाला फैसला विशाखा केस मे आया था। कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिये विशाखा गाइड लाइन के रूप में लागू की गई। उसके आधार पर संसद ने क्रिमिनल लॉ में कई संशोधन किये थे, वह मील का पत्थर साबित हुये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि निर्भया काण्ड जैसी घटनाएँ नहीं हो इसके लिये जस्टिस वर्मा ने जो योगदान दिया है, उसे देश कभी भूला नहीं पाएगा। व्याख्यान माला में जस्टिस श्री माहेश्वरी ने अपने संस्मरण बताते हुए कहा कि नवम्बर 1985 में जब वे वकील बने, उनकी पहली सुनवाई जस्टिस जे.एस. वर्मा की वजह से हुई। अगर वे नहीं आते तो मुझे हाईकोर्ट में जाने का मौका नहीं मिलता। एक बार जब वे क्रिमिनल अपील में बैठे तो वहाँ वकील मौजूद नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि कौन नया लड़का बैठा है। उन्होंने मुझसे 11 बजे कहा कि आप 2.30 बजे आइये मैं यह बहस सुनूगा, मैं अचंभित हो गया। मैंने जितना संभव हुआ उतनी बहस इस पर की।

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री रवि मलिमथ ने कहा कि जस्टिस जे.एस. वर्मा द्वारा किये गये महत्वपूर्ण फैसलों में सरोजिनी रामास्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, नीलाबती मेहरा बनाम उड़ीसा राज्य, एस.आर बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं विशाखा बनाम राजस्थान राज्य एवं टी.एन. गोडावर्मन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया शामिल है। उन्होंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का दायित्व भी बखूबी संभाला। श्री मलिमथ ने कहा कि उनका जीवन न्याय के लिये समर्पित रहा। उन्होंने श्री वर्मा के प्रारंभिक जीवन से लेकर उनके वकील, न्यायाधीश, राजस्थान आयोग के अध्यक्ष बनने तक की जीवन यात्रा के बारे में बताया।

सांसद श्री विवेक तन्खा ने कहा कि जस्टिस वर्मा जब 1970- 1980 के दशक में प्रदेश के न्यायाधीश थे। उनके नाम से लोग डरते थे। उनके फैसलों ने जो छाप छोड़ी वह अमिट है। उनके द्वारा दिये गये तर्कों पर बहस करना मेरे लिए बहुत कठिन होता था। उन्होंने जस्टिस श्री वर्मा के साथ अपने अनुभवों को साझा किया।

राज्य सभा सदस्य श्री राजीव शुक्ला, श्री कार्तिकेय शर्मा, लोकसभा सदस्य श्री वी.डी. शर्मा, लोक निर्माण मंत्री श्री गोपाल भार्गव, विधायक सर्वश्री अजय विश्नोई, तरूण भनोत, लखन घनघोरिया एवं संजय शर्मा, महापौर जगतबहादुर सिंह अन्नू सहित सुश्री शुभ्रा वर्मा, अधिवक्ता एवं विधि के छात्र-छात्राएँ मौजूद रहे।